संख्या-81/2016/1846जेएल/22-3-18-200(2)/2018

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधीक्षक,
आदर्श कारागार,लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 07 सितम्बर, 2018***

विषय- नारी बंदी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध महिला बंदियों को स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश की अवधि में 15 दिन की वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-46/2018/1321जेएल/22-3-18-200(2)/2018, दिनांक 29-06-2018 के क्रम में नारी बंदी निकेतन, लखनऊ की निम्नलिखित 04 महिला बंदियों द्वारा किये गये अनुरोध पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उनको पूर्व स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश में अग्रेतर 15 दिन की वृद्धि एतदद्वारा स्वीकृत की जाती है :-

क्र	महिला बंदी/पिता अथवा पति का नाम	जनपद का नाम	महिला बंदी संख्या
1	2	3	4
1	सुनीता देवी पत्नी श्री उमाशंकर	पीलीभीत	1384
2	अमृती देवी पत्नी श्री रामस्वरूप	पीलीभीत	1382
3	मायादेवी पत्नी श्री नरायण लाल	पीलीभीत	1387
4	फूलमती पत्नी श्री रामभजन	सीतापुर	1296

भवदीय,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

संख्या-81/2018/1846जेएल(1)/22-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।